2021 का विधेयक संख्यांक 110.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग विधेयक, 2021

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग

3. आयोग का गठन ।
4. अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति ।
5. अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना ।
6. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि ।
7. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में काम करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना ।
8. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें ।
9. रिक्ति, आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।
10. आयोग द्वारा प्रक्रिया विनियमित किया जाना ।
11. आयोग की उप-समितियां और अन्य कर्मचारिवृन्द ।

अध्याय 3

आयोग की शक्तियां और कृत्य

12. आयोग की शक्तियां और कृत्य ।
13. वार्षिक रिपोर्ट ।
14. अधिनियम के उपबंधों, नियमों, आदेश या निदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति ।
15. पर्यावरण संबंधी प्रतिकर ।

अध्याय 4

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

16. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।
17. लेखा और संपरीक्षा ।

खंड

अध्याय 5

प्रकीर्ण

18. अपील ।
19. विशेष अन्वेषण टीमों का गठन ।
20. केंद्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।
21. केंद्रीय सरकार की जानकारी मांगने की शक्ति ।
22. अधिकारिता का वर्जन ।
23. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
24. सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना ।
25. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
26. आयोग की विनियम बनाने की शक्ति ।
27. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
28. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।
29. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण गठित करने वाले आदेश का निरसन और व्यावृत्तियां ।
30. व्यावृत्तियां ।
31. निरसन और व्यावृत्ति ।

2021 का विधेयक संख्यांक 110.

[दि कमीशन फार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजोइनिंग एरियाज बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग विधेयक, 2021

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी सूचकांक के आस-पास की समस्याओं का बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान हेतु वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग का गठन करने और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य में बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह, जहां तक कि इसका संबंध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से संबंधित विषयों से है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में लागू होगा ।

(3) यह 13 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं । **2.** (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "निकटवर्ती क्षेत्रों" से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकटवर्ती हरियाणा,पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं, जहां प्रदूषण का कोई ऐसा स्रोत अवस्थित है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु क्वालिटी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है;

(ख) "सहयुक्त सदस्य" से ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जो धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन सहयोजित सदस्य है ;

(ग) "अध्यक्ष" से धारा 3 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी है ;

(च) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जो उसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 2 के खंड (च) में उसका है ; 1985 का 2

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किंतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं । 1986 का 26

अध्याय 2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग

आयोग का गठन । **3.** (1) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन उस आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए, गठन करेगी ।

(2) आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) पूर्णकालिक अध्यक्ष, जो पर्यावरण संरक्षण या प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में पन्द्रह वर्ष से अन्यून का अनुभव रखता हो या जो पच्चीस वर्ष से अन्यून का प्रशासनिक अनुभव रखता हो;

(ख) भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का अधिकारी न हो, पदेन ;

(ग) पांच पदेन सदस्य, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्य करने वाले विभाग के या तो मुख्य सचिव या भारसाधक सचिव हैं ;

(घ) एक पूर्णकालिक सदस्य जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव है या रहा है ;

(ङ) वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों में विनिर्दिष्ट ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाने वाले तीन पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य ;

(च) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक तकनीकी सदस्य, पदेन ;

(छ) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक तकनीकी सदस्य, पदेन ;

(ज) वायु प्रदूषण रोकथाम संबंधित विषयों में अनुभव रखने वाले गैर-सरकारी संगठनों से तीन सदस्य ;

(झ) राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव या सलाहकार की पंक्ति से नीचे का न हो, पदेन ;

(ञ) आयोग के पूर्णकालिक सदस्य-सचिव के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला भारत सरकार का संयुक्त सचिव की पंक्ति का अधिकारी ;

(ट) ऐसे सेक्टर जैसे कृषि, उद्योग, यातायात और संनिर्माण में से पणधारियों के नाते, तीन सदस्य ।

(3) आयोग, निम्नलिखित व्यक्तियों को सहयुक्त सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव से नीचे की पंक्ति का न हो ;

(ख) विद्युत मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ;

(ग) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ;

(घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ;

(ङ) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ;

(च) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ;

(छ) किसी वाणिज्य और उद्योग संगम का एक प्रतिनिधि ;

(ज) ऐसे अन्य सहयुक्त सदस्य, जो विहित किए जाएं ।

(4) सदस्य-सचिव, आयोग का मुख्य समन्वय अधिकारी होगा और इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में आयोग की सहायता करेगा ।

(5) आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

(6) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के होते हुए भी, आयोग को इस अधिनियम के अन्तर्गत विषयों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में अनन्य अधिकारिता होगी और ऐसे विषयों में किसी अन्य निकाय,

प्राधिकारी, व्यष्टि या समिति को कोई शक्ति या अधिकारिता नहीं होगी :

परंतु यह कि आयोग और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की सरकारों या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति या किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित किसी अन्य कानूनी प्राधिकरण के आदेशों और साथ ही निदेशों में विरोधाभास की दशा में, आयोग का आदेश या निदेश अभिभावी होगा ।

अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति ।

4. (1) आयोग के पदेन सदस्यों से भिन्न, पूर्णकालिक अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे :

परंतु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति, दूसरे परंतुक के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे,—

(क) भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रभारी मंत्री - अध्यक्ष ;

(ख) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रभारी मंत्री - सदस्य ;

(ग) भारत सरकार के सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय का प्रभारी मंत्री - सदस्य ;

(घ) भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रभारी मंत्री - सदस्य ;

(ङ) मंत्रिमंडल सचिव - सदस्य :

परंतु यह और कि जहां, किसी मामले में, केंद्रीय सरकार, धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन किसी सेवारत अधिकारी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है या उसके खंड (घ) के अधीन पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है, तब चयन समिति की सिफारिश अपेक्षित नहीं होगी ।

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट चयन समिति में किसी सदस्य का कोई पद रिक्त है ।

(3) आयोग का सदस्य-सचिव, केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, नियुक्त किया जाएगा ।

अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना ।

5. (1) पदेन सदस्य से भिन्न, अध्यक्ष या कोई सदस्य केंद्रीय सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, किसी पदेन सदस्य से भिन्न, अध्यक्ष या किसी सदस्य को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके पद से हटा सकेगी, यदि ऐसा व्यक्ति,—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत हुआ है ;

(ख) अपनी पदावधि के दौरान अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अतिरिक्त किसी संदत्त नियोजन में लगता है ;

(ग) विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित कर दिया गया है;

(घ) जिसने अपनी प्रास्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसके

बोर्ड में बने रहने से जनसाधारण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ङ) जिसने ऐसा वित्तीय या कोई अन्य हित अर्जित किया है जिससे उसके कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है; या;

(च) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है :

परंतु ऐसे सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसे सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि ।

6. किसी पदेन सदस्य से भिन्न, पूर्णकालिक अध्यक्ष या कोई सदस्य, उस तारीख से जिसको वह पदधारण करता है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण करता है, दोनों में से जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा तथा पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में काम करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना ।

7. (1) अध्यक्ष का पद, मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा, रिक्त होने की दशा में, केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए तब तक के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है ।

(2) जब अध्यक्ष, छुट्टी या अन्यथा, अनुपस्थिति के कारण अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस निमित्त अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु उस तारीख तक प्राधिकृत कर सकेगी जिस तारीख तक अध्यक्ष अपना पद पुनः ग्रहण करता है ।

अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें ।

8. पदेन सदस्यों से भिन्न, अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और उनकी शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं :

परंतु अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के वेतन और भत्तों तथा सेवा के अन्य निबंधनों और उनकी शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके अहित में परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

रिक्ति, आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

9. आयोग का कोई कृत्य या कार्यवाही, केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग के गठन में कोई त्रुटि है या कोई पद रिक्त है ।

आयोग द्वारा प्रक्रिया विनियमित किया जाना ।

10. (1) आयोग ऐसे समय और स्थान पर जो अध्यक्ष ठीक समझे, बैठक करेगा ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन आयोग को इसके विनियमों द्वारा इसकी अपनी प्रक्रिया अधिकथित करने की शक्ति होगी ।

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय, सदस्य-सचिव द्वारा या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

(4) आयोग, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों या सीमाओं के अधीन रहते हुए, यदि कोई है, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, सदस्य-सचिव या धारा 11 के अधीन गठित किसी उप-समिति को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी में सुधार करने और संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक और समीचीन हो ।

आयोग की उप-समितियां और अन्य कर्मचारिवृन्द ।

11. (1) आयोग में कम से कम निम्नलिखित तीन उप-समितियां होंगी—

(क) निगरानी और पहचान उप-समिति ;

(ख) सुरक्षा और प्रवर्तन उप-समिति ;

(ग) अनुसंधान और विकास उप-समिति ।

(2) निगरानी और पहचान उप-समिति की अध्यक्षता आयोग द्वारा चयन किए गए इसके सदस्य द्वारा की जाएगी और जिसमें निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक प्रतिनिधि ;

(ख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति के प्रत्येक राज्य से एक प्रतिनिधि ;

(ग) राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान से एक प्रतिनिधि; और

(घ) ऐसे अन्य सदस्य जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) सुरक्षा और प्रवर्तन उप-समिति की अध्यक्षता आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसमें निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के वायु प्रदूषण का समाधान करने वाले विभागों में से प्रत्येक विभाग से ऐसा एक प्रतिनिधि जो सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ;

(ख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों से, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति, प्रत्येक राज्य से एक प्रतिनिधि ;

(ग) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों से ऐसा अधिकारी जो पुलिस महानिदेशक से नीचे की पंक्ति का न हो या समतुल्य, प्रत्येक राज्य से एक अधिकारी ;

(घ) ऐसे अन्य सदस्य जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) अनुसंधान और विकास उप-समिति की अध्यक्षता आयोग के पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य द्वारा की जाएगी और जिसमें निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान से दो तकनीकी प्रतिनिधि ;

(ख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों या संगठनों में से प्रत्येक राज्य से एक तकनीकी प्रतिनिधि ;

(ग) चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले या जीवित प्राणियों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव पर अध्ययन करने वालों में से दो तकनीकी

प्रतिनिधि ;

(घ) ऐसे अन्य सदस्य जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(5) आयोग ऐसी अन्य उप-समितियों का भी गठन कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(6) पदेन सदस्यों से भिन्न, उप-समितियों के सदस्यों को ऐसे भत्ते संदत्त किए जाएंगे जो विहित किए जाएं ।

(7) केंद्रीय सरकार, आयोग के परामर्श से, आयोग के कृत्यों के निर्वहन में सहयोग करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के प्रवर्ग और प्रकृति का अवधारण करेगी तथा आयोग को ऐसे अधिकारी और कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगी जो वह ठीक समझे ।

(8) आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

(9) उपधारा (7) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और उनकी सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

अध्याय 3

आयोग की शक्तियां और कृत्य

आयोग की शक्तियां और कृत्य ।

12. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग को ऐसे उपाय करने, निदेश जारी करने और शिकायत ग्रहण करने की शक्ति होगी, जो वह राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की क्वालिटी का सुधार और संरक्षा करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन समझे तथा आयोग का यह भी कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी उपाय करे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की क्वालिटी का सुधार और संरक्षा करने के लिए आवश्यक हो गए हों ।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु निम्नलिखित शक्तियां होंगी जिसके अंतर्गत वायु प्रदूषण का उपशमन करने के लिए उपाय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में ऐसे क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने या विनियमित करने जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु प्रदूषण होना संभाव्य है या बढ़ता है, भी हैं, अर्थात् :—

(i) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों, अधिकारियों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन की गई ऐसी कार्रवाइयों का समन्वय करना जो इस अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हैं ;

(ii) वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन हेतु क्षेत्र के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना तथा कार्यान्वित करना;

(iii) वायु की क्वालिटी हेतु उसके भिन्न-भिन्न पहलुओं पर मानदंड अधिकथित करना ;

(iv) क्षेत्र में भिन्न-भिन्न स्रोतों से जो भी पर्यावरण संबंधी प्रदूषक वायु

की क्वालिटी पर प्रभाव डालने वाले हों, के निस्सारण या उत्सर्जन के लिए मानदंड अधिकथित करना:

परंतु क्षेत्र में वायु क्वालिटी पर विवक्षा रखने वाले भिन्न-भिन्न स्रोतों से पर्यावरण संबंधी प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सारण के परिमाण और सम्मिश्रण को ध्यान में रखते हुए, भिन्न-भिन्न स्रोतों पर इस खंड के अधीन उत्सर्जन या निस्सारण के लिए भिन्न-भिन्न मानदंड अधिकथित किए जा सकेंगे ;

(v) क्षेत्र में वायु की क्वालिटी पर विवक्षा रखने वाले ऐसे क्षेत्रों पर निर्बंधन लगाना जिसमें कोई उद्योग या संक्रियाएं या प्रसंस्करण या ऐसे उद्योगों के वर्ग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण नहीं किए जाएंगे या कतिपय सुरक्षा की शर्त के अधीन किए जाएंगे ;

(vi) क्षेत्र में वायु क्वालिटी पर विवक्षा रखने वाले पर्यावरण संबंधी प्रदूषण की समस्याओं से संबंधित अनुसंधान और अपेक्षित अन्वेषण करना ;

(vii) किसी परिसर, संयंत्र, उपस्कर, मशीनरी, विनिर्माण या अन्य प्रसंस्करण, सामग्री या पदार्थों का निरीक्षण करना और क्षेत्र में वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए उपाय करने की बाबत ऐसे प्राधिकारियों, अधिकारियों या व्यक्तियों को आदेश द्वारा ऐसे निदेश देना जैसे वह आवश्यक समझे ;

(viii) क्षेत्र में वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों के संबंध में जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना ;

(ix) क्षेत्र में वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन से संबंधित मैनुअल, संहिता या गाइड तैयार करना ;

(x) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिकारियों को ऐसे पदनाम के साथ, जो वह ठीक समझे, नियुक्त करना और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों को करने या इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसी शक्तियां जो वह ठीक समझे, सौंप सकेगा ;

(xi) किसी व्यक्ति, अधिकारी या किसी प्राधिकरण को लिखित में निदेश जारी करना और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन निदेश जारी करने के अंतर्गत निम्नलिखित निदेश देने की शक्ति भी है—

(क) किसी उद्योग का प्रचालन या प्रसंस्करण बंद करना, प्रतिषिद्ध या विनियमन करना ;

(ख) विद्युत या जल या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकना या विनियमन करना ।

(3)(क) इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन, आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को युक्तियुक्त समय पर और ऐसी सहायता के साथ, जो वह समीचीन समझता हो, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किसी स्थान में प्रवेश का अधिकार होगा,—

(i) आयोग द्वारा सौंपे गए कृत्यों में से किसी के निर्वहन करने हेतु ;

(ii) यह अवधारित करने के लिए कि क्या ऐसे किन्हीं कृत्यों का निर्वहन किया जाना है और यदि हां, तो किस रीति में किया जाना है या क्या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किन्हीं उपबंधों का या इस अधिनियम के अधीन तामील किए गए नोटिस, किए गए आदेश, दिए गए निदेश या अनुदत्त प्राधिकार का पालन किया जा रहा है या पालन किया गया है ;

(iii) किसी उपस्कर, औद्योगिक संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य सारवान् पदार्थ की परीक्षा या परीक्षण करने के प्रयोजन से या किसी ऐसे भवन की तलाशी लेने के लिए जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसके भीतर इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और ऐसे किसी उपस्कर, औद्योगिक संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य सारवान् पदार्थ का उस दशा में अभिग्रहण करने के लिए, जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उससे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य दिया जा सकेगा या पर्यावरण संबंधी प्रदूषण को रोकने या कम करने के लिए ऐसा अभिग्रहण आवश्यक है ।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी परिसंकटमय पदार्थ का कोई उद्योग, प्रचालन या प्रसंस्करण करता है, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को सभी सहायता देने के लिए आबद्ध होगा जिसे खंड (क) के अधीन आयोग द्वारा उस खंड के अधीन कृत्य करने के लिए सशक्त किया है और यदि वह किसी युक्तियुक्त कारण के बिना ऐसा करने में असफल रहता है तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध करने का दोषी होगा ।

(ग) यदि कोई व्यक्ति खंड (क) के अधीन आयोग द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को उसके कृत्यों के निर्वहन में जानबूझकर विलंब करता है या बाधा पहुंचाता है तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

1974 का 2 (घ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, इस धारा के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, उक्त प्रक्रिया की धारा 94 के अधीन या उक्त विधि के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन जारी किए गए किसी वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं ।

(4)(क) आयोग या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को विश्लेषण के प्रयोजन के लिए किसी कारखाने, परिसर या अन्य स्थान से वायु के नमूने ऐसी रीति में लेने की शक्ति होगी जो विहित की जाए ।

(ख) खंड (क) के अधीन लिए गए किसी नमूने के विश्लेषण का परिणाम किसी विधिक कार्यवाही में तब तक साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा जब तक खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया हो ।

(ग) खंड (घ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खंड (क) के अधीन नमूना लेने वाला व्यक्ति,—

(i) इस प्रकार विश्लेषण कराने के अपने आशय की सूचना तब और उसी समय ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या उस स्थान के भारसाधक व्यक्ति पर तामील करेगा ;

(ii) अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या व्यक्ति की उपस्थिति में विश्लेषण के लिए नमूना लेगा ;

(iii) नमूने को किसी आधान या आधानों में रखवाएगा जिसे चिह्नांकित और सीलबंद किया जाएगा तथा उस पर नमूना लेने वाले व्यक्ति और अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या व्यक्ति, दोनों हस्ताक्षर भी करेंगे ;

(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं को आधान या आधानों को अविलंब भेजेगा ।

(घ) जब खंड (क) के अधीन विश्लेषण के लिए कोई नमूना लिया जाता है और नमूना लेने वाला व्यक्ति अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या व्यक्ति पर खंड (ग) के उपखंड (i) के अधीन नोटिस की तामील करता है, तब,–

(i) ऐसे मामले में जहां अधिष्ठाता, उसका अभिकर्ता या व्यक्ति जानबूझकर अनुपस्थित रहता है, वहां नमूना लेने वाला व्यक्ति विश्लेषण के लिए नमूना लेगा और नमूने को आधान या आधानों में रखवाएगा जिसे चिह्नांकित और सीलबंद किया जाएगा तथा नमूना लेने वाला व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर करेगा ; और

(ii) ऐसे मामले में जहां नमूना लिए जाने के समय अधिष्ठाता, उसका अभिकर्ता या व्यक्ति उपस्थित रहता है किन्तु खंड (ग) के उपखंड (iii) के अधीन अपेक्षित रूप में नमूने के चिह्नांकित और सीलबंद आधान या आधानों पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है, वहां चिह्नांकित और सीलबंद आधान या आधानों पर नमूना लेने वाला व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा,

और आधान या आधानों को केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं को विश्लेषण के लिए अविलंब भेजेगा और ऐसा व्यक्ति सरकारी विश्लेषक को अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या व्यक्ति के, यथास्थिति, जानबूझकर अनुपस्थित रहने या आधान या आधानों पर हस्ताक्षर करने से उसके इंकार करने के बारे में जानकारी देगा ।

(5) आयोग और धारा 11 में उल्लिखित उप-समितियां अपने प्राधिकार का प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन करने में केंद्रीय सरकार के ऐसे साधारण या विशिष्ट निदेशों द्वारा आबद्ध होंगे जो समय-समय पर जारी किए जाएं ।

(6) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग सभी या निम्नलिखित में से किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति, संगम, कंपनी, लोक उपक्रम या कोई उद्योग चलाने, प्रचालन या संक्रिया करने वाले किसी स्थानीय निकाय के विरुद्ध स्वप्रेरणा से या पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति, प्रतिनिधि निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना ;

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए तंत्र और साधन उपलब्ध करवाना—

(i) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ;

(ii) राष्ट्रीय वायु क्वालिटी मानीटरी कार्यक्रम ;

(iii) राष्ट्रीय परिधि वायु क्वालिटी मानक ;

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में निम्नलिखित के लिए प्रभावी रूपरेखा और मंच उपलब्ध कराना–

(i) कालिक आधार पर वायु प्रदूषण के स्रोत की पहचान ;

(ii) वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए आधारभूत उपाय करना ;

(iii) वायु प्रदूषण के क्षेत्र में विनिर्दिष्ट अनुसंधान और विकास ;

(iv) वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर निगरानी रखने, उनके प्रवर्तन और अनुसंधान के लिए नवीकरणीय उपाय और विकसित करने में सभी पणधारियों को सक्रिय और प्रयासरत बनाने के लिए सहयोग करना ;

(v) वायु प्रदूषण के क्षेत्र में कार्य करने वाले या अनुसंधान करने वाले तकनीकी संस्थाओं के बीच नेटवर्क बनाना ;

(vi) अंतरराष्ट्रीय सहयोग करना जिसके अंतर्गत वायु प्रदूषण के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करना भी है ;

(vii) वायु प्रदूषण की समस्या का पता लगाने के लिए विशेष कर्मीदल का सृजन करना और प्रशिक्षण देना ;

(घ) निम्नलिखित के लिए प्रभावी रूपरेखा, कार्य योजना उपलब्ध करवाना और समुचित उपाय करना–

(i) खेत में उपज के कट जाने के बाद बचे हुए ठूँठ जलाने की समस्या का पता लगाना ;

(ii) वायु प्रदूषण कारकों की निगरानी, निर्धारित और निरीक्षण करना ;

(iii) वृक्षारोपण की वृद्धि करना ;

(ङ) खेत में उपज के कट जाने के बाद बचे हुए ठूँठ जलाने संबंधी राज्यों द्वारा किए जा रहे उपायों की मानीटरी करना ;

(च) वायु प्रदूषण के क्षेत्र में अनुसंधान और उसका संवर्धन ;

(छ) समाज के विभिन्न वर्गों में वायु प्रदूषण के संबंध में जागरूकता का प्रसार करना और ऐसे सामूहिक उपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना जिन्हें जनता प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य उपलब्ध साधनों से प्राप्त कर सके ;

(ज) वायु प्रदूषण के क्षेत्र में कार्यरत और सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना ;

(झ) कोई अन्य कृत्य, जो समय-समय पर पारित किसी न्यायिक आदेश के अनुसरण में, वायु प्रदूषण, खेत में उपज के कट जाने के बाद बचे हुए ठूँठ जलाने या संबंधित कारकों की निगरानी करने के सम्बद्ध मुद्दों पर कार्रवाई करने के प्रयोजन के लिए गठित किसी तदर्थ समिति या कर्मीदल या निकाय को सौंपे गए हों ;

(ञ) ऐसे अन्य कृत्य जो वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के निवारण के लिए आवश्यक समझे ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

13. (1) आयोग, केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट देगा जिसमें किए गए उपायों, किए गए प्रस्तावों, प्रतीक्षित अनुसंधानों और धारा 12 के अधीन उसके कृत्यों के अनुसरण में उसके द्वारा किए गए अन्य उपायों के ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन दी गई वार्षिक रिपोर्ट संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

अधिनियम के उपबंधों, नियमों, आदेश या निदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

14. (1) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों उसके अधीन बनाए गए नियमों या आयोग द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश का अननुपालन या उल्लंघन अपराध होगा, जो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोंनों से दंडनीय होगा :

परंतु इस धारा के उपबंध किसी कृषक को खेत में उपज के कट जाने के बाद बचे हुए ठूँठ जलाने या कृषि अवशिष्ट के कुप्रबंध द्वारा वायु प्रदूषण कारित करने के लिए लागू नहीं होंगे ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपराध असंज्ञेय होगा और अधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा, जो आयोग या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के सिवाय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा । 1974 का 2

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(4) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया गया है वहां उस विभाग का अध्यक्ष ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी विभाग के ऐसे अध्यक्ष को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध उस विभाग के अध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना किसी उपेक्षा का कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

(7) इस धारा और उसके अधीन अनुसरण किए जाने वाली प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध लागू होंगे । 1974 का 2

पर्यावरण संबंधी प्रतिकर ।

15. आयोग, खेत में उपज के कट जाने के बाद बचे हुए ठूँठ जलाने के कारण वायु प्रदूषण कारित करने वाले कृषकों से, ऐसी दर पर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पर्यावरण संबंधी प्रतिकर अधिरोपित और संगृहीत कर सकेगा ।

अध्याय 4

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

16. (1) केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी राशियों का संदाय करेगी जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे ।

(2) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएंगी ।

लेखा और संपरीक्षा ।

17. (1) आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक कथन, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे ।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, आयोग द्वारा भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित आयोग के लेखे, उसकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और केन्द्रीय सरकार ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

अपील ।

18. इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित आयोग द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी आदेश, निदेश या की गई कार्यवाही के विरुद्ध कोई अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अधीन गठित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को होगी । 2010 का 19

विशेष अन्वेषण टीमों का गठन ।

19. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए या किसी न्यायालय द्वारा किसी न्यायिक आदेश में किसी बात के होते हुए भी, जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक समझता है, वहां वह एक या अधिक विशेष अन्वेषण टीमों का गठन कर सकेगा जो ऐसे अधिकारियों या ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेंगी जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे ।

केंद्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

20. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किंतु इस अधिनियम के उपबंध के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार लिखित में, ऐसे निदेश, जो यह आवश्यक समझे, आयोग या किसी व्यक्ति या आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी, को जारी कर सकेगी और, यथास्थिति, आयोग, व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसे निदेश का पालन करने के लिए आबद्धकर होगा ।

केंद्रीय सरकार की जानकारी मांगने की शक्ति ।

21. केंद्रीय सरकार, समय-समय पर, ऐसी जानकारी और रिपोर्ट, जो वह ठीक समझे, मांग सकेगी और आयोग ऐसी जानकारी और रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए आबद्धकर होगा ।

अधिकारिता का वर्जन ।

22. किसी भी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसके लिए आयोग इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन, सशक्त है, आयोग द्वारा की गई कार्रवाई या जारी किए गए निदेशों से सम्बधित या उससे उद्भूत किसी वाद, कार्यवाही या विवाद को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

23. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में, कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार, आयोग या उसके किसी सदस्य या किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी जो या तो केन्द्रीय सरकार या आयोग के निदेश के अधीन कार्य कर ।

सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना ।

24. आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे । 1860 का 45

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

25. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा

सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ज) के अधीन अन्य सहबद्ध सदस्य ;

(ख) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाए जाने की रीति ;

(ग) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ;

(घ) धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन उप-समितियों के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को संदेय भत्ते ;

(ङ) धारा 11 की उपधारा (7) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति ;

(च) धारा 11 की उपधारा (9) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें ;

(छ) धारा 12 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन नमूने लेने की रीति और खंड (ग) के उपखंड (i) के अधीन सूचना का प्ररूप ;

(ज) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन ऐसी रीति जिसमें पर्यावरण संबंधी प्रतिकर जिस पर और जिस रीति में अधिरोपित और संगृहीत किया जाएगा ;

(झ) वह प्ररूप जिसमें धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा ;

(ञ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोंनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

आयोग की विनियम बनाने की शक्ति ।

26. (1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव ड़ाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) आयोग द्वारा धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ख) आयोग द्वारा, ऐसी शर्तें और सीमाएं, जिनके अधीन रहते हुए, धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति प्रत्यायोजित की जाए ;

(ग) धारा 11 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक उपसमिति के सदस्य ;

(घ) धारा 13 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट देने का प्ररूप और रीति ;

(ङ) कोई अन्य विषय जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए ।

(3) आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक पश्चात् के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

27. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु इस अधिनियम के लागू होने से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

28. (1) इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का प्रभाव रखने वाला कोई दस्तावेज, निर्णय, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी निर्णय या किसी न्यायालय के किसी आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 3 के अधीन आयोग के गठन की अधिसूचना पर या तो संसद् या किसी राज्य द्वारा अधिसूचित किसी विधि के अधीन या किसी न्यायिक आदेश की निबंधनों में नियुक्त या नामनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यष्टि या निकाय या प्राधिकरण, इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले विषयों के सम्बध में कोई कार्य नही करेगा या उनको अधिकारिता नहीं होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण गठित करने वाले आदेश का निरसन और व्यावृत्तियां ।

29. (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए अधिसूचना संख्यांक का.आ. 93 (अ), तारीख 29 जनवरी, 1998 द्वारा पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण गठित करने वाला पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 द्वारा उसके 1986 का 29
अधीन किया गया आदेश निरसित किया जाता है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण विघटित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त आदेश के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण द्वारा की गई कोई बात

या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

2020 का अध्यादेश सं0 13

30. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध के लिए आयोग अध्यादेश, 2020 के निरसन के होते हुए भी, ऐसे अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी । व्यावृत्तियां ।

2021 का अध्यादेश सं० 4

31. (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अध्यादेश, 2021 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और व्यावृत्ति ।

2021 का अध्यादेश सं० 4

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अध्यादेश, 2021 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत, भारत के संविधान में यथा आज्ञापित स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त वायु का सृजन करने हेतु प्रतिबद्ध है । पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन नियुक्त समिति ने, विशिष्टतया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए उपाय किए हैं । समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार, न्यायालयों ने अपने आदेशों को मॉनीटर करने और उनके कार्यान्वयन में सहायता और सहयोग करने के लिए तथा साधारणतया वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उपाय करने हेतु तदर्थ समितियां भी गठित की हैं । फिर भी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वायु-शेड और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी चिंता का मुख्य कारण बनी हुई है ।

2. वायु प्रदूषण के कारणों को मानीटर करने, उनका समाधान करने और उन्मूलन करने के लिए तथा वायु प्रदूषण के उन्मूलन और न्यूनीकरण संबंधी उपायों को, जिसके अंतर्गत खेत में उपज कट जाने के बाद बचे हुए ठूंठ जलाना, यातायात प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन, सड़क की धूल, जैव पुंज का जलाना और शहरी संनिर्माण भी है, किन्तु जो इन तक ही सीमित नहीं है, की पहचान करने, उनको विनिर्दिष्ट करने और उन्हें कठोरतापूर्वक प्रवृत्त करने हेतु एक समेकित दृष्टिकोण विकसित करने और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है । अब, यह आवश्यक समझा गया है कि युद्ध स्तर पर वायु प्रदूषण का समाधान करने के लिए व्यापक उपाय करने की समुचित शक्तियां तथा कर्तव्य, संबन्धित राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार के साथ समन्वय करने की तथा विभिन्न विधियों के अधीन स्थापित कानूनी प्राधिकारियों को निदेश जारी करने की शक्ति से युक्त कानूनी प्राधिकरण प्राप्त किया जाए ।

3. सतत् विकास लक्ष्यों के अधीन वायु प्रदूषण के मुद्दे के लिए विशिष्टतया, पर्यावरणीय पोषणीयता पर लक्ष्यित उद्देश्यों की परिधि के भीतर पर्यावरण संरक्षा और संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धताएं और दायित्व, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, में प्रकट किए गए हैं और जिसका अधिनियमन संविधान के अनुच्छेद 253 के अधीन हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किया गया । यह देखा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सुसंगत केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य पणधारियों को अंतवर्लित करते हुए सहयोगी और भागीदारीपूर्ण आगम को अंगीकृत करने वाले स्थायी, समर्पित और सहभागी तंत्र की कमी है ।

4. यह संप्रेक्षण किया गया है कि वायु प्रदूषण के स्रोतों में, विशिष्टतया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, विभिन्न ऐसे कारक सम्मिलित होते हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं से परे हैं । वायु प्रदूषण के ऐसे सभी स्रोतों पर विशेष संकेन्द्रण अपेक्षित हैं जो विभिन्न आर्थिक सेक्टरों, जिसके अंतर्गत शक्ति, कृषि, परिवहन, उद्योग, आवास और संनिर्माण भी है, के साथ सहयुक्त हैं । चूंकि वायु प्रदूषण एक स्थानीकृत घटना नहीं है, इसलिए इसका प्रभाव ऐसे क्षेत्रों पर भी महसूस किया जाता है जो स्रोत से दूर हैं, इस प्रकार यह बहु शाखा विषयक तुल्यकालन के अतिरिक्त अंतर्राज्यीय और अंतर-शहरी समन्वय के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर की पहलों के लिए आवश्यकता का सृजन करती है ।

5. किसी अंतर-क्षेत्रीय, लोक सहभागिता, बहु-राज्यीय गत्यात्मक निकाय के अभाव के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या का विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण करने और उसे कम करने के उपायों के सुझाव देने हेतु तदर्थ या अस्थायी समितियों के गठन में अपना कीमत समय लगाया था और रिट याचिका (सी) संख्या 13029/1985 एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सतत् परमादेश के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या की मॉनीटरी, पर्यवेक्षण और सहयोग करता रहा है । यद्‌यपि केंद्रीय सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुदेशों की अनुपालना में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 93(अ), तारीख 29 जनवरी, 1998 द्‌वारा तारीख 29 जनवरी, 1998 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया था । पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 और अन्य समीपस्थ राज्यों के सहयोग के बिना दिल्ली राज्य तक सीमित थी,जिसका परिणाम उसकी प्रभावकारिता को सीमित करना है ।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कई अवसरों पर अन्तर्राज्यीय सहयोग की कमी को देखते हुए अन्तर्राज्यीय सहयोग को सुनिश्चित करने के क्रम में चार प्रश्नगत राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को उपस्थित होने का निदेश दिया था । इसके अतिरिक्त, वायु प्रदूषण और विशिष्टतया खेत में उपज कट जाने के बाद बचे हुए ठूंठ को जलाने से संबंधित मुद्‌दों पर राज्यों के संयुक्त कृत्यों के ऊपर निरीक्षण तंत्र की कमी के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सी) सं. 1135/2020, आदित्य दुबे (अवयस्क) और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य, में खेत में उपज कट जाने के बाद बचे हुए ठूंठ को जलाने से रोकने के लिए राज्यों द्‌वारा किए गए उपायों की मानीटरी करने के लिए एक सदस्यीय मानीटरी समिति की नियुक्ति की थी । माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई अवसरों पर वायु प्रदूषण समस्या के समाधान के लिए अभिनव उपायों और अनुसंधान पहलों में सुधार चाहा है और उसका प्रस्ताव किया है ;

7. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, स्थायी समाधान करने, न कि सीमित और तदर्थ उपाय, और स्व-विनियमित और लोकतांत्रिक रूप से मानीटरीकृत तंत्र की स्थापना का उपबंध करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग की स्थापना करना आवश्यक समझा गया था जो लोक सहभागिता, अन्तर्राज्यीय सहयोग, विशेषज्ञ समावेशन और सतत् अनुसंधान तथा नवाचार को सरल बनाने के उपरोक्त उल्लिखित समितियों को प्रतिस्थापित करेगा ।

8. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और इस संबंध में विधान की तुंरत आवश्यकता थी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध के लिए आयोग अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 13) भारत के राष्ट्रपति द्‌वारा 28 अक्तूबर, 2020 को प्रख्यापित किया गया था । परंतु उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए विधेयक संसद में पुरःस्थापित नहीं किया जा सका था । परिणामस्वरूप, अध्यादेश 12 मार्च, 2021 को व्यपगत हो गया । इसके पश्चात्, भारत के राष्ट्रपति द्‌वारा संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अध्यादेश, 2021 (2021 का अध्यादेश सं. 4) 13 अप्रैल, 2021 को प्रख्यापित किया गया था ।

9. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग विधेयक, 2021 जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अध्यादेश, 2021 (2021 का अध्यादेश सं. (4) का प्रतिस्थापन करता है, निम्नलिखित उपबंध करने के लिए है,—

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग का गठन ;

(ख) आयोग की सहायता के लिए तीन उपसमितियां अर्थात् निगरानी और पहचान उपसमिति ; सुरक्षा और प्रवर्तन उपसमिति ; तथा अनुसंधान और विकास उपसमिति;

(ग) आयोग की शक्तियां और कृत्य ;

(घ) अधिनियम, नियमों, आदेश या निदेश के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति ;

(ङ) खेत में उपज के कट जाने के बाद बचे हुए ठूंठ जलाने के लिए आयोग द्वारा पर्यावरण संबंधी प्रतिकर अधिरोपित करना ।

10. यह विधेयक उपरोक्त अध्यादेश का प्रतिस्थापन करने के लिए है ।

नई दिल्ली ; **भूपेन्द्र यादव**

22 जुलाई, 2021

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 3 का उपखंड (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने का उपबंध करता है । खंड 4 का उपखंड (1) पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का उपबंध करता है । विधेयक का उपखंड (3) सदस्य सचिव की नियुक्ति का उपबंध करता है । खंड 8, आयोग के पदेन सदस्यों से भिन्न, अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन और भत्तों के संदाय का उपबंध करता है ।

2. विधेयक का खंड 11, आयोग की उप-समितियों के गठन के लिए उपबंध करता है । विधेयक का उपखंड (6), उप-समितियों के पदेन सदस्यों से भिन्न, सदस्यों को भत्तों के संदेय का उपबंध करता है । उक्त खंड का उपखंड (7) केंद्रीय सरकार को आयोग की सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद का अवधारण और उनका उपबंध करने के लिए सशक्त करता है । उक्त खंड का उपखंड (9) आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द को वेतन और भत्तों के संदेय का उपबंध करता है ।

3. विधेयक का खंड 16 का उपखंड (1), संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात्, जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे, आयोग को ऐसे अनुदानों का संदाय करने का उपबंध करता है । विधेयक का उपखंड (2) उपबंध करता है कि आयोग इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

4. व्यय, इस निमित्त किए गए बजटीय उपबंधों के माध्यम से भारत की संचित निधि से पूरा किया जाएगा । आयोग के आवर्ती व्यय का प्राक्कलन अठारह करोड़ रुपए और अनावर्ती व्यय का प्राक्कलन पांच करोड़ रुपए है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 25, अन्य बातों के साथ, (क) अन्य सहयुक्त सदस्य जो सहयोजित किए जाएं ; (ख) अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाने की रीति ; (ग) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; (घ) उप-समितियों के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को संदेय भत्ते ; (ङ) आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद की नियुक्ति ; और ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद को संदेय वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें ; (च) विश्लेषण के लिए नमूने लेने की रीति और वह प्ररूप जिसमें नमूने लेने की सूचना तामील की जा सकेगी ; (छ) वह दर, जिस पर और वह रीति जिसमें, पर्यावरण संबंधी प्रतिकर अधिरोपित और संगृहीत किया जाएगा; (ज) वह प्ररूप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा, से संबंधित विषयों की बाबत नियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 26, अन्य बातों के साथ, आयोग द्वारा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से (क) आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; (ख) आयोग द्वारा, ऐसी शर्तें और सीमाएं, जिनके अधीन रहते हुए आयोग द्वारा शक्ति प्रत्यायोजित की जा सकेगी ; (ग) प्रत्येक उपसमिति के अन्य सदस्य ; (घ) वह प्ररूप और रीति, जिसमें आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट दी जाएगी, से संबंधित विषयों की बाबत विनियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

वे विषय जिनके संबंध में नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।